संख्या- 263 /18-4-2020-18(विविध)/17टी0सी0-2

प्रेषक,

अमित कुमार सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ, उ0प्र0
लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 22 अप्रैल,2020

विषय-एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-600/ओ0डी0ओ0पी0 प्रकोष्ठ/2019-20,दिनांक 3-12-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-56/18-4-2019-18(विविध)/17टी0सी0-2 दिनांक 22-1-2019 द्वारा प्रारम्भ की गयी योजना 'एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना, के संबंध में सक्षम स्तर पर लिए गये निर्णय के क्रम में उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या-1(1) एवं 1(2), प्रस्तर सं-3 के उप प्रस्तर-(1)(2),(3) (4) एवं प्रस्तर-3(5), 3(6) तथा प्रस्तर संख्या-4,5,6, 10 एवं 11 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

1-

शासनादेश दिनांक 22-1-2019 के प्रस्तर-1 (1) एवं प्रस्तर 1 (2) में उल्लिखित प्राविधान	संशोधन
1(1)- प्रदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग हेतु आर्थिक सहायता	प्रदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेला/प्रदर्शनियों एवं अन्य मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग
1(2)- प्रदेश के बाहर स्वदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग हेतु आर्थिक सहायता	प्रदेश के बाहर स्वदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेला/ प्रदर्शनियों में प्रतिभाग

2-प्रस्तर संख्या-3

वर्तमान प्राविधान			संशोधन		
क्र० सं०	प्रयोजन	अनुमन्य आर्थिक सहायता	क्र० सं०	प्रयोजन	अनुमन्य आर्थिक सहायता
(1).	प्रदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग।	स्टाल चार्जेज का प्रतिशत अधिकतम रु०50,000 /-	1(क)	प्रदेश में आयोजित होने वाले अन्य मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग	स्टाल चार्जेज का 75%,अधिकतम रु० 50,000 /-
		उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी/मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ढुलाई पर आने वाले व्यय का 75%,अधिकतम			उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी /मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ढुलाई पर आने वाले व्यय का

		रु० 7,500/-			75%,अधिकतम रु० 7,500/-
		मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने-जाने हेतु रेल के 3-ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का वास्तविक किराया।			मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने-जाने हेतु रेल के 3-ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का वास्तविक किराया।
			1(ख)	प्रदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग	स्टाल चार्जेज का 75%,अधिकतम रु० 1,50,000 /-
					उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी/मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ढुलाई पर आने वाले व्यय का 75%ए अधिकतम रु० 7,500/-
					मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने-जाने हेतु रेल के 3-ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का वास्तविक किराया।
(2).	प्रदेश के बाहर स्वदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग	स्टाल चार्जेज का 75%,अधिकतम रु० 50,000/-	2.	प्रदेश के बाहर स्वदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेला/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग	स्टाल चार्जेज का 75%,अधिकतम रु० 2,00,000 /-
		उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी/मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ढुलाई पर आने वाले व्यय का 75%,अधिकतम रु० 15,000/-			उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ढुलाई पर आने वाले व्यय का 75% (B2B Fair हेतु अधिकतम रु० 25,000/- एवं B2C Fair हेतु अधिकतम रु० 50,000 /-)
		मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने-जाने हेतु रेल के 3-ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का वास्तविक किराया।			मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने-जाने हेतु रेल के 3-ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का वास्तविक किराया। वायुयान की इकॉनमी क्लास से यात्रा करने पर किये गए व्यय का 75%, अधिकतम रु० 7,000 /-

(3).	विदेशी व्यापार मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग	स्टाल चार्जेज का 75%, अधिकतम रु० 2 लाख		3.	विदेशी व्यापार मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग	--- यथावत ---
		उत्पादन स्थल से प्रदर्शनी /मेला स्थल तक विक्रय हेतु ले जाने वाले माल की ढुलाई पर आने वाले व्यय का 75% (B2BFair हेतु अधिकतम रु० 25,000/- एवं B2CFairहेतु अधिकतम रु० 50,000 /-)				--- यथावत ---
		मेले में प्रतिभाग करने हेतु एक व्यक्ति के आने-जाने हेतु रेल के 3-ए.सी. क्लास अथवा ए.सी. बस का से की गयी घरेलु यात्रा तथा वायुयान की इकोनोमी क्लास में की गयी विदेश की यात्रा पर किये गयी कुल व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रु० 75,000/-				--- यथावत ---
(4).	इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ करना			4.	इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ करना	--- यथावत ---

प्रस्तर -3(5): ओ०डी०ओ०पी० उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा प्रदेश/भारत सरकार की अन्य ऐसी परिषदों एवं अथॉरिटीज द्वारा आयोजित/प्रतिभाग किये जाने वाले विदेशी मेला-प्रदर्शनियों अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनियों के आयोजन/प्रतिभाग पर होने वाले कुल व्यय की 75% धनराशि, अधिकतम रु० 75 लाख, आर्थिक सहायता के रूप में योजनान्तर्गत अनुमन्य होगी। शेष धनराशि प्रतिभागी व्यक्तियों/इकाईयों द्वारा अथवा परिषद्/अथॉरिटी द्वारा वहन की जायेगी। आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु मेला/प्रदर्शनी में कम-से-कम 20 इकाईयों का प्रतिभाग अनिवार्य है।

प्रस्तर -3(6): प्रदेश/भारत सरकार द्वारा किसी अधिनियम/शासनादेश द्वारा स्थापित विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद एवं अथारिटीज द्वारा ओ०डी०ओ०पी० उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन प्रोत्साहन के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग एवं प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित किये जाने वाले क्राफ्ट फेस्टिवल, सेमीनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, बायर-सेलर मीट तथा मार्केट स्टडी हेतु किये गए कुल वास्तविक व्यय का 75%, अधिकतम रु० 100 लाख, की धनराशि की प्रतिपूर्ति भी योजनान्तर्गत की जायेगी।

3-शासनादेश दिनांक 22-01-2019 का प्रस्तर सं०	वर्तमान प्राविधान	संशोधन
(4)	प्रस्तर-3 में उल्लिखित आर्थिक सहायता हेतु	प्रस्तर-3 में उल्लिखित आर्थिक सहायता हेतु अनुमन्य

	अनुमन्य मेला/ प्रदर्शनियां आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ) द्वारा अधिसूचित की जायेंगी तथा आवश्यकतानुसार इन मेला /प्रदर्शनियों को शासनादेश संख्या: 506/18-4-2018-18(विविध)/17टी.सी., दिनांक 23 मई, 2018 द्वारा गठित प्रदेश स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के अनुमोदनोपरान्त संशोधित/ परिमार्जित किया जा सकेगा।	मेला/प्रदर्शनी, आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ) द्वारा अधिसूचित एवं संशोधित /परिमार्जित की जा सकेंगी।
(5)	कोई भी इकाई /व्यक्ति प्रदेश में आयोजित होने वाले मेला/ प्रदर्शनियों, प्रदेश के बाहर स्वदेश में आयोजित होने वाले मेला-प्रदर्शनियों एवं विदेशी व्यापार मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग हेतु, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा सामान उद्देश्य हेतु संचालित अन्य योजनाओं को सम्मिलित करते हुए, प्रत्येक प्रायोजन हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 03 बार ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। किसी भी एक मेला-प्रदर्शनी हेतु पात्र व्यक्ति या इकाई को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी जब व्यक्ति /इकाई द्वारा किसी अन्य योजना से समान प्रकृति के पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।	कोई भी व्यक्ति/इकाई प्रदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मेला-प्रदर्शनियों, प्रदेश में आयोजित होने वाले अन्य मेला-प्रदर्शनियों, प्रदेश के बाहर स्वदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मेला-प्रदर्शनियों एवं विदेशी व्यापार मेला-प्रदर्शनियों में प्रतिभाग हेतु एक वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत केवल 03 बार ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति/इकाई द्वारा एक ही मेला-प्रदर्शनी हेतु प्रदेश/भारत सरकार की एक से अधिक सम-प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
(6)	इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु आर्थिक सहायता उन व्यक्तियों/इकाईयों को ही अनुमन्य होगी जो पूर्व से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय नहीं कर रहे हों तथा यह सुविधा किसी एक वेबसाइट या पोर्टल तक ही सीमित रहेगी।	इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत किसी व्यक्ति/इकाई को केवल एक बार ही उपलब्ध कराई जायेगी। यह सुविधा केवल एक वेबसाइट या पोर्टल तक ही सीमित रहेगी।
(10)	योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु बस एवं रेल के ऑफ लाइन/ विंडो के माध्यम से क्रय किये गए टिकट के अतिरिक्त अन्य मद में किया गया नगद भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।	प्रदेश अथवा देश में आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेला-प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने पर आर्थिक सहायता हेतु सड़क/रेलमार्ग/हवाई मार्ग के टिकटों आदि का नकद भुगतान भी अनुमन्य होगा, परन्तु अन्य सभी मदों का भुगतान ऑनलाइन/चेक/ड्राफ्ट अथवा बैंक/वित्तीय संस्था के माध्यम से होना अनिवार्य है। प्रदेश के अन्दर आयोजित मेला-प्रदर्शनियों में सड़क/रेलमार्ग/ हवाई मार्ग के टिकटों एवं स्टाल चार्जेज का नकद भुगतान भी अनुमन्य होगा। विदेशी व्यापार मेलों के सम्बन्ध में समस्त भुगतान ऑन लाइन /बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
(11)	योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों को स्वीकृत करने का अधिकार शासनादेश संख्या: 506/18-4-2008-18(विविध)/ 17 टी.सी., दिनांक 23 मई 2018 द्वारा जनपद स्तर पर	1. व्यक्तिगत रूप से मेलों में प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों को स्वीकृत करने का अधिकार शासनादेश संख्या- 506/18-4-2018-

गठित जिला स्तरीय समिति में निहित होगा। उक्त समिति द्वारा स्वीकृत किये गए दावों की सूची ऑन लाइन/पोर्टल के माध्यम से आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ) को उपलब्ध कराई जायेगी।	18(विविध)/17टी0सी0 दिनांक 23.5.2018 द्वारा जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति में निहित होगा। 2. निर्यात सम्वर्धन परिषद एवं अथॉरिटीज के माध्यम से मेलों में प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों को स्वीकृत करने का अधिकार शासनादेश संख्या-506/18-4-2018-18(विविध)/17 टी0सी0 दिनांक 23.5.2018 द्वारा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में निहित होगा। ऑन लाइन व्यवस्था/ पोर्टल के प्रारम्भ होने तक दावों की स्वीकृति ऑफ लाइन की जा सकेगी। उक्त सभी स्वीकृतियां निर्धारित बजट सीमा के अंतर्गत की जा सकेंगी।

4. शासनादेश संख्या-56/18-4-2019-18(विविध)/17टी0सी0-2 दिनांक 22-1-2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उपर्युक्त शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेगी।

5. कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-263/(1)/18-4-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र उ0प्र0।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष बाबू)
अनुसचिव।